राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 746वी बैठक दिनांक 13.09.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 746वी बैठक दिनांक 13.09.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एवं श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव की उपस्थित में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई। बैठक में श्री अनिल कुमार शर्मा सदस्य SEIAA अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हुए।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	8148/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	9231/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	6769/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
4.	6770/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
5.	9214/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9119/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	9222/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	9224/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9210/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
10.	7555/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	9227/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
12.	9228/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	9245/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
14.	9024/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
15.	9230/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	9243/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	8581/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
18.	9244/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
19.	9250/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	6638/2022	1(a)	लेटेराईट एवं ओकर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
21.	9009/2022	1(a)	पत्थर खदान	Ammendment in EC	Rejected
22.	9249/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670, pseudonym=59677A9E0556F3038E391E06270442ECD96D8E15, 2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab, postalCode=492007, st=Chhattisgarh, serialNumber=8EEBC30C03467931610D795822F972A2A09ABE23A78850BD4411F30CB3DE4391, cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:06:00 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

23.	9206/2022	1(a)	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
24.	9162/2022	2(b)	मेगनीज़ ऑर बेनीफिशियेशन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	9200/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	9256/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

1. **प्रकरण क्र. 8148/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सियाराम स्टोन क्रेशर, श्री प्रमोद साहू (पार्टनर), निवासी लोहे की मस्जिद के पीछे, बस स्टेण्ड, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1456/3, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम सरानी, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। । परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद जीवित वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उस क्षेत्र को नो माईनिंग जोन के रूप छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर ख़दानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:07:19 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VII. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1800
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	150
3	तन्देरा व सरानी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, आम, अमरूद, कटल अन्य फलदार प्रजातियां।	2750
4	सरानी गांव के विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	100
		कुल	4800

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- सरानी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोर्टेबल ई.सी.जी मशीन प्रदान की जाये।
- सरानी ग्राम के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का रिनोवेशन किया जाये एवं समस्त छात्रों के लिये कपड़े, स्कूल बैग, पानी बोतल, पठन पाठन सामग्री आदि प्रदाय की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सियाराम स्टोन क्रेशर, श्री प्रमोद साहू (पार्टनर), निवासी लोहे की मस्जिद के पीछे, बस स्टेण्ड, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1456/3, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम सरानी, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर का आदेश क 3461 का पत्र दिनांक 28.04.2020 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति प्राप्त हैं। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.04.2030 तक मान्य रहेगी।

Anil Kumar Sharma
Digitally signed by Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:08:31 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. प्रकरण क्र. 9231/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ब्रजवासी स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री अंकुर नायक, निवासी 577/1, C/o श्री सतीश नायक, श्री मुकेश नायक, सिविल वार्ड नं. 07, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.694 हेक्टेयर, खसरा 408, 409, 410, 411, ग्राम मरा (विरान), तहसील बक्सवाह, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने की संरचना से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का रोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	सिस्सू, जंगल जलेबी, नीम, पीपल, करंज, खमेर, कस्टार, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1000
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्राम मरा (विरान) के ग्रामबासियों में वितरण ।	इमली, सीताफल, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670, pseudonym=59677A9E0556F3038E391E06270442ECD96D8E15, 2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab, postalCode=492007, st=Chhattisgarh, serialNumber=8EEBC30C03467931610D795822F972A2A09ABE23A78850BD4411F30CB3DE4391, cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:13:32 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4.	ग्राम ग्राम मरा (विरान) के ग्राम पंचायत भवन में	कदम्ब, नीम, पीपल, कचनार, कुम्बी, पुतरनजीवा, मौलश्री, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	700
		कुल	2400

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम सुनवाहा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 1 कम्पयूटर, प्रिन्टर, टेबल के साथ और 1 आलमारी, लाइब्रेरी के लिए प्रदान की जाये।
- ग्राम सुनवाहा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 20 छायादार पौधों (कदम्ब, कचनार, करंज, बहुनिया एवं अन्य प्रजातियॉ) का रोपण ट्री गार्ड के साथ किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ब्रजवासी स्टोन केशर पार्टनर श्री अंकुर नायक, निवासी 577/1, C/o श्री सतीश नायक, श्री मुकेश नायक, सिविल वार्ड नं. 07, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.694 हेक्टेयर, खसरा 408, 409, 410, 411, ग्राम मरा (विरान), तहसील बक्सवाह, जिला छतरपुर (म.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल का आदेश क. 4460 -62 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.04.2032 तक मान्य रहेगी।

3. प्रकरण क्र. 6769/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.के. स्टोन कंपनी, पार्टनर, श्री आशिफ खान आत्मज श्री असलम खान एवं श्री आबिद खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी वार्ड नं. 08, खुदवाडी मोहल्ला, बखोद रोड़, तहसील-आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5044 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 385/2/2, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम जीवनगढ़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार खदान क्षेत्र से 90 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्तावित खदान से 200 मीटर दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः परियोजना प्रस्तावक अपने पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

4. **प्रकरण क्र. 6770/2020** परियोजना प्रस्तावक श्री आबिद खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी वार्ड नं. 08, खुदवाड़ी मोहल्ला, बड़ौद रोड़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12125 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 143, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम खमरिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

उक्त खदान में हुई जनसुनवाई में ग्रामवासियों द्वारा खदान स्वीकृत ना किये जाने हेतु आपत्ति दर्ज की गई है कि उक्त भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गॉव की लगभग 2000 गायों के लिये गौशाला का निर्माण कराया गया है साथ ही यह भी आपत्ति दर्ज की गई है कि उक्त खदान से गॉव की 500 बीघा फसल भी खराब होगी एवं जलीय निकाय भी प्रदूषित होगा। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर रतलाम से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि इस तरह की लीज पर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र. 9214/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता पत्नी श्री रामसिंह मेड़ा, निवासी 88/1, बख्तावर रोड, धार, जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 496/3, रकबा 3.30 हेक्टेयर, ग्राम बोदला, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मौसमी नाले से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यकम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3900 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर जोन में तीन लाइनो में किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू सीताफल आदि।	1200
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	500
3	सेट बैक में लगाए जाने वाले पौधे	नीम, बबूल पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	520
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1680
		कुल	**3900**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोदला में चिकित्सक से परामर्श कर उपकरण उपलब्ध करवाया जाये।

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670, pseudonym=59677A9E0556F3038E391E06270442ECD96D8E15, 2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab, postalCode=492007, st=Chhattisgarh, serialNumber=8EEBC30C03467931610D795822F972A2A09ABE23A78850BD4411F30CB3DE4391, cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:14:53 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- ग्राम बोदला के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास विभाग से परामर्श कर पोषण आहार वितरित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्रीमती सुनीता पत्नी श्री रामसिंह मेड़ा, निवासी 88/1, बख्तावर रोड, धार, जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 496/3, रकबा 3.30 हेक्टेयर, ग्राम बोदला, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का आदेश क. 346 दिनांक 03.03. 2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.03.2032 तक मान्य रहेगी।

6. **प्रकरण क्र. 9119/2022 –** परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र श्रोती आत्मज श्री कल्याण श्रोती, निवासी एच–13, चेतकपुरी, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50009 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1974/2 मिन–1, 2082, रकबा 2.591 हेक्टेयर, ग्राम दौरार, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 569वीं बैठक दिनांक 06.05.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र में 940 पौधों का रोपण किये जाने की अनुशंसा की गई है। आंगनवाडी केन्द्र/परिसर में इतने अधिक संख्या में पौधों का रोपण किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) में दर्शाये गये आधार पर (Norms) अनुसार भी यह संभव नहीं होगा। अतः उपरोक्तानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र में क्षेत्र की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के दृष्टिगत पौध रोपण की संख्या का आकलन करवाये जाने के उपरांत अनुशंसित किया जाना उचित होगा। उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क्र. 9222/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रेशम बाई पत्नी श्री दुले सिंह, निवासी कर्राखेड़ा, पोस्ट वाडोनकर्रा, खेदपदौ, जिला गुना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि),उत्पादन क्षमता 57,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.368 हेक्टेयर, खसरा 3726, ग्राम पारसेन, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा बैरियर जोन हेतु उपलब्ध भूमि की मात्रा एवं गुणवत्ता को देखते हुए 1000 पौधों का रोपण व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) में दिये गये आधारों अनुसार क्या यह संभव है? उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

8. **प्रकरण क्र 9224/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश नागर आत्मज श्री मथरालाल नागर, निवासी ग्राम बरोडी, तहसील नरसिंहगढ, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4998 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 31/2/1/1, 31/2/1/2, ग्राम बरोडी, तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः:–

(i) **राजगढ़ जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में स्थित जीवित वृक्षों को काटा नही जायेगा तथा उनका रखरखाव किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों ओर गेमप्रूफ फेंसिग (ऊचांई 2.10 मीटर) लगाई जाये।

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670, pseudonym=59677A9E0556F3038E391E06270442ECD96D8E15, 2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab, postalCode=492007, st=Chhattisgarh, serialNumber=8EEBC30C03467931610D795822F972A2A09ABE23A78850BD4411F30CB3DE4391, cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:15:47 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का रोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	आंवला, सिस्सू, नीम, पीपल, करंज, बरगद खमेर, चिरोल,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं	600
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम्ब, नीम, पीपल, कचनार, चिरोल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्राम बरोड़ी के ग्रामबासियों को वितरण	इमली, सीताफल, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	200
4.	ग्राम बरोड़ी के शासकीय विद्यालय परिसर में	कदम्ब, नीम, पीपल, कचनार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं ट्री गार्ड के साथ	200
		कुल	1200

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बरोड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में दो गोदरेज अलमारी एवं फर्नीचर (दस लकडी की बेंच एवं पॉच कुर्सीयॉं) उपलब्ध कराई जायें।
- ग्राम बरोड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 20 छायादार पौधों (कदम्ब, कचनार, करंज, बहुनिया एवं अन्य प्रजातियॉं) का रोपण ट्री गार्ड के साथ किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश नागर आत्मज श्री मथरालाल नागर, निवासी ग्राम बरोडी, तहसील नरसिंहगढ, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4998 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 31/2/1/1, 31/2/1/2, ग्राम बरोडी, तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ का पत्र क. 161 दिनांक 02.02.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.02.2032 तक मान्य रहेगी।

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

9. **प्रकरण क्र 9210/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश प्रताप सिंह आत्मज श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम–चक्रहन टोला, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9872 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 10/3, ग्राम पथरौदाकंला, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार खदान क्षेत्र से 90 मीटर की दूरी पर नदी होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्तावित खदान से 200 मीटर दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग से नदी के HFL से खदान की वास्तविक दूरी की सत्यापित जानकारी के साथ परियोजना प्रस्तावक अपने पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

10. **प्रकरण क्र 7555/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री जिंदल अर्थ मांईस, पार्टनर, श्री नव्य जिंदल आत्मज श्री अमित जिंदल, निवासी 55, दशहरा मैदान, उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 347, रकबा 1.460 हेक्टेयर, ग्राम पिंगलेश्वर, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया::–

(i) उज्जैन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670,
pseudonym=59677A9E0556F3038E391E0627
0442ECD96D8E15,
2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a
36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab,
postalCode=492007, st=Chhattisgarh,
serialNumber=8EEBC30C03467931610D7958
22F972A2A09ABE23A78850BD4411F30CB3DE
4391, cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:16:53 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में स्थित जीवित वृक्षों को काटा नही जायेगा तथा उनका रखरखाव किया जाये।**

(iii) **प्रस्तावित खदान क्षेत्र से लगभग 140 मीटर दूरी पर रेल्वे लाईन स्थित है। अतः रेल्वे लाईन के प्रतिबंधित क्षेत्र से सुरक्षा के दृष्टिगत 200 मीटर की दूरी तक नो माईनिंग जोन रहेगा तथा इसका सीमांकन रेल्वे अधिकारी/जिला खनिज अधिकारी की उपस्थित में कराया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तर दिशा की ओर माईनिंग लीज बाउण्ड्री पर 04 मीटर की प्रोटेकशन वॉल बनाई जाये एवं खदान के इस नो माईनिंग जोन क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि खनन गतिविधियों से रेल्वे यातायात कोई विपरित प्रभाव ना पड़े।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **हाईटेंशन लाईन से 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा **SEAC** की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यकम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1850 वृक्षों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50) मीटर बेरियर जोन में तीन लाइनो में किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, आंवला,चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू आदि।	450
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (1000 मी) के दोनों ओर **4** फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, अशोक आदि	500
3	रेल्वे लाईन की दिशा में उपलब्ध शासकीय/निजी भूमि में वृक्षारोपण/ ग्रामीणों को पौधा वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	900
		कुल	**1850**

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma Date: 2022.09.20 16:17:12 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- पिंगलेशवर गांव के प्राथमिक स्वास्थय केंन्द्र में मेडिकल बेड दिए जायेंगे। (20,000 X 3) तथा स्वास्थय अधिकारी से परामर्श करके चिकित्सीय उपकरण प्रदान कियो जाये। (20,000)
- पिंगलेशवर गांव में उचित स्थानों पर 20 कूड़ेदान रखे जायें तथा समय – समय पर उनकी साफ – सफाई की जाये।.
- पिंगलेशवर गांव में सार्वजानिक शौचालय का निर्माण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री जिंदल अर्थ मांईस, पार्टनर, श्री नव्य जिंदल आत्मज श्री अमित जिंदल, निवासी 55, दशहरा मैदान, उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 347, रकबा 1.460 हेक्टेयर, ग्राम पिंगलेश्वर, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.)। जिला कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का आदेश क. 895 दिनांक 10.07.2020 के द्वारा आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वातिक मंजूरी प्राप्त हैं। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.07.2030 तक मान्य रहेगी।

11. प्रकरण क्र 9227/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल तम्बोलिया आत्मज श्री गोपाल तम्बोलिया, निवासी 167, श्याम नगर, नियर बाबा धाम मंदिर, भीलवाड़ा (राजस्थान)–311001 द्वारा पत्थर एवं एम–सेंड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 व एम–सेड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 201, ग्राम झिरमिरा, तहसील खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र में 13 पेड़ लगे है, जिनमें से 09 पेड़ काटे जायेगे जिसके एवज में 90 पेड़ लगाये जायेगें......*

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:17:33 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

12. **प्रकरण क्र 9228/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश आत्मज श्री मदनलाल, निवासी 114, महात्मा गांधी मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम–सेंड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 व एम–सेंड 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.750 हेक्टेयर, खसरा 2176/2440/2, ग्राम घिनोदा, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया::––

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जलीय निकाय से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क** से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में स्थित 07 जीवित वृक्षों को नही कटा जाये तथा उनका रखरखाव किया जाये।

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:17:56 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iv) उज्जैन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का रोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, करंज, खमेर आदि।	800
2.	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	150
3.	खदान में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, करंज, खमेर आदि।	750
4.	ग्राम घिनोदा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, सीताफल, सिस्सू , कदम, पीपल, करंज आदि।	50
5.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल आदि।	350
		कुल	**2100**

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- प्राथमिक स्वास्थ केंद्र घिनोदा में एक स्ट्रेचर एवं एक व्हील चेयर प्रदान किया जाये ।
- घिनोदा के आंगनवाडी केंद्र में खाना परोसने के वर्तत, बैठने की दरी एवं ब्लेक बोर्ड प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश आत्मज श्री मदनलाल, निवासी 114, महात्मा गांधी मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम–सेंड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 व एम–सेंड 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.750 हेक्टेयर, खसरा 2176/2440/2, ग्राम घिनोदा, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल का पत्र क. 5545 दिनांक 25.04.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.04.2032 तक मान्य रहेगी।

13. प्रकरण क्र 9245/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री दशरथ बामोरिया आत्मज श्री केशवराव बामोरिया, निवासी 64, हाउसिंग बोर्ड, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5000 व एम–सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 2176/2440/2, ग्राम घिनौदा, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र में 10 पेड़ लगे है, जिनमें से 01 पेड़ काटे जायेगे जिसके एवज में 10 पेड़ लगाये जायेगें......*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

14. प्रकरण क्र. 9024/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सीताराम स्टोन, पार्टनर, श्री धर्मेन्द्र दांतरे आत्मज श्री जैय प्रकाश दांतरे निवासी ,बी–11, पुरूषोत्तम विहार, गोला का मंदिर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि),उत्पादन क्षमता 2,28,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.640 हेक्टेयर, खसरा 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130, ग्राम डिरमन, तहसील गोहद, जिला भिंड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:18:36 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र में 03 पेड़ लगे है, जिनमें से 01 पेड़ काटे जायेगे जिसके एवज में 10 पेड़ लगाये जायेगें......*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी एवं पश्चिम दिशा में खदान क्षेत्र से 100 मी दूरी पर स्थित नहर से माननीय एनजीटी के निर्देशों के परिपालन में ब्लास्टिंग हेतु नहर से प्रस्तावित खदान तक 200 मीटर तक की दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र का Revised Surface Map (सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) भी 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

15. **प्रकरण क्र. 9230/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री मोहित माहेश्वरी आत्मज श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी, निवासी नारायण बाग के पास, छावनी, आगर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 478 भाग, ग्राम जामली, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण को सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **आगर मालवा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)	Anil Kumar Sharma (अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का रोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगलजलेबी, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	करंज,कदम,चिरोल,जंगलजलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2000
3	जामली ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, इमली, आवलॉं , अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम, संतरा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2200
4.	ग्राम जामली स्थित गौशाला में वृक्षारोपण	संतरा,सीताफल, इमली, आवलॉं, अमरुद, पपीता, निम्बू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
		कुल	4800

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम जामली स्थित गौशाला हेतु 01 वर्ष तक "पशुआहार" का वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री मोहित माहेश्वरी आत्मज श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी, निवासी नारायण बाग के पास, छावनी, आगर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 478 भाग, ग्राम जामली,

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा का पत्र क. 727 दिनांक 08.07.2021 एवं 978 दिनांक 15.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07. 07.2031 तक मान्य रहेगी।

16. **प्रकरण क्र. 9243/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र सोनी आत्मज श्री गिरधारी लाल सोनी, निवासी ग्राम ओझर, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10640 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 516/1, ग्राम दनोद, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण को सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **बड़वानी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत को छोडकर अन्य गौण खनिज) अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर एवं मानव बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यकम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का रोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	सिस्सू, नीम, खमैर, करंज, सीताफल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	1000

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	सिस्सू, नीम, सूबबूल, चिरौल, नीलगिरी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं ।	200
3	दानोद ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, सीताफल मुनगा, जामुन, अमरूद, आम इत्यादि।	1180
4	शासकीय विद्यालय दानोद में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार इत्यादि।।	20
		कुल	2400

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम दानोद के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिए खाना परोसने के लिए और बच्चों के खाना खाने के बर्तन, बच्चों के खेलने के लकड़ी के खिलौने का वितरण किया जाये।
- ग्राम दानोद के आंगनवाड़ी केन्द्रं में पीन के पानी एवं शौचालय का निमार्ण पानी की उचित व्यवस्था के साथ किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र सोनी आत्मज श्री गिरधारी लाल सोनी, निवासी ग्राम ओझर, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10640 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 516/1, ग्राम दनोद, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी का पत्र क. 465 दिनांक 03.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.03.2032 तक मान्य रहेगी।

17. **प्रकरण क्र 8581/2021** परियोजना प्रस्तावक श्री संजय पाटीदार आत्मज श्री शोभाराम पाटीदार, पलासिया स्टोन डिपाजिट, निवासी अंजद, तहसील अंजद, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 38800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 24, ग्राम पलासिया, तहसील अंजद, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670, pseudonym=59677A9E0556F3038E391E06270442ECD96D8E15, 2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab, postalCode=492007, st=Chhattisgarh, serialNumber=8EEBC30C034679316 10D795822F972A2A09ABE23A78850BD4411F30C83DE4391, cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:21:00 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र में 07 पेड़ लगे है, जिनमें से 05 पेड़ काटे जायेगे जिसके एवज में 50 पेड़ लगाये जायेगें......*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

18. **प्रकरण क्र 9244/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी जकीरा हाउस, घुरदंग, रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.804 हेक्टेयर, खसरा 49/1/ख/1/1, 49/1/ख/1/2, 49/1/ख/2, ग्राम बेला, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार खदान क्षेत्र से 34, 40 एवं 120 मीटर की दूरी पर रहवासी क्षेत्र होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्तावित खदान से 200 मीटर दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

अतः उपरोक्तानुसार माननीय एनजीटी के दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रस्तावित खदान के समीपस्थ स्थित रहवासी क्षेत्र के दृष्टिगत खनन गतिविधि हेतु अनुमति के संबंध में जिला कलेक्टर सतना से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि रहवासी क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए इस तरह की लीज खनन हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं।

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670,
pseudonym=59677A9E0556F3038E391E06270442ECD96D8E15,
2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab,
postalCode=492007, st=Chhattisgarh,
serialNumber=8EEBC30C03467931610D795822F972A2A09ABE23A78850BD4411F30CB3DE4391,
cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:21:25 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

19. **प्रकरण क्र 9250/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री दीप नारायण सिंह आत्मज श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम अकौना, तहसील अबेर, जिला सतना (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14950 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.613 हेक्टेयर, खसरा 395/1 भाग, ग्राम पटरहाई, तहसील रामपुर बघेलन, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण को सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **सतना जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं आबादी से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन क्षेत्र में 02 अवैध मकान बने है यदि मकानों में कोई निवासरत है तो, परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य इन दोनों मकानों के विस्थापन के पश्चात् ही प्रारंभ करेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3150 वृक्षों का रोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :–

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	सिस्सू, नीम, खमैर, चिरौल, पीपल, सेमल, अशोक, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	1500

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, करंज,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	250
3	पतरहाई ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, आम, सीताफल, मुनगा इत्यादि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1380
4.	शासकीय विद्यालय पटराहाई में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार इत्यादि।	20
		कुल	3150

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम पटरहाई के ऑगनवाड़ी केन्द्रं में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन वितरण किये जायें।
- ग्राम पटरहाई के आंगनवाड़ी केन्द्र का रिनोवेशन किया जाये एवं शौचालय का निर्माण पानी की उचित व्यवस्था के साथ किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री दीप नारायण सिंह आत्मज श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम अकौना, तहसील अबेर, जिला सतना (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14950 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.613 हेक्टेयर, खसरा 395/1 भाग, ग्राम पटरहाई, तहसील रामपुर बघेलन, जिला सतना (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 4980–85 दिनांक 13.04.2022 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु मंजूरी प्राप्त हैं। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.04.2032 तक मान्य रहेगी।

20. **प्रकरण क्र 6638/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित कुमार अग्रवाल निवासी 47 – प्रभात विहार कालोनी पन्ना नाका सतना (म.प्रं) द्वारा लेटेराईट एवं ओकर खदान, (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड) उत्पादन क्षमता लेटेराईट 60000 टन प्रतिवर्ष एवं ओकर 8000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 11.654 हेक्टेयर, खसरा 101 भाग 103 भाग, 133 भाग ग्राम पगार कलां, तहसील बिरसिहपुर, जिला सतना (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति ।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 577वीं बैठक दिनांक 11.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 577वीं बैठक दिनांक 11.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण को सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **सतना जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपर मुख्य सचिव वन विभाग की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **वन सीमा से 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं वन्य प्राणी की सुरक्षा हेतु खदान के चारों ओर 2.10 मीटर ऊँची चैनलिंग फेंसिंग की जाये तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं वन विभाग के अमले की उपस्थिति मे सीमांकन करवाया जाये ।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670, pseudonym=59677A9E0556F3038E391E06270442ECD96D8E15, 2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab, postalCode=492007, st=Chhattisgarh, serialNumber=8EEBC30C03467931610D795822F972A2A09ABE23A78850BD4411F30CB3DE4391, cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:23:00 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 13500 वृक्षों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन (शासकीय भूमि) (प्रथम वर्ष)	महुआ, सिस्सू, नीम, पीपल, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	2600
2	बैरियर जोन (निजी भूमि) (द्वितीय वर्ष)	जामुन, बैर, मुनगा, आंवला, इमली, सीताफल, आम, महुआ अन्य फलदार प्रजातियॉं।	1400
3	पगार कलां के शासकीय विद्यालय में (प्रथम वर्ष)	कचनार, पुत्रंजीवा, अमलतास, सीता अशोक, नीम, गुलमोहर आदि।	20
4	वन क्षेत्र और खनन क्षेत्र की सीमा के बीच में। (द्वितीय वर्ष)	शीशम, नीम, चिरौल, पीपल, बरगद, खमैर, सीताफल, अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	5980
5	ग्रामपंचायत पगार कलां के ग्रामवासियों को वितरण हेतु (प्रथम वर्ष)	इमली, आवंला, आम, अमरूद, करोंदा, सीताफल, महुआ, मुनगा, कठल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियॉं।	3000
6	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊॅंचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष)	नीम, पीपल, महुआ, बरगद, खमैर, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	500
		कुल	**13,500**

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- स्थानीय ग्रमीणों के लिये नियमिति रूप से स्वास्थ्य शिवर का आयोजन किया जायें।
- ग्राम पगार कलां के प्राथमिक विद्यालय के 60 बच्चों को बैग, जूते, टिफिन बाक्स प्रदान किये जाये।
- उज्जवला योजना के तहत खदान मे काम करने वाले श्रमिको को सोलर कुकर/गैस सिलेण्डर प्रदान किया जायें।
- ग्राम पगार कलां के आंगनबाड़ी केन्द्र का रिनोवेशन किया जाये एवं पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित कुमार अग्रवाल निवासी 47 – प्रभात विहार कालोनी पन्ना नाका सतना (म.प्र) द्वारा लेटेराईट एवं ओकर खदान, (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड) उत्पादन क्षमता लेटेराईट 60000 टन प्रतिवर्ष एवं ओकर 8000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 11.654 हेक्टेयर, खसरा 101 भाग 103 भाग, 133 भाग ग्राम पगार कलां, तहसील बिरसिहपुर, जिला सतना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश शासन खनिज ससाधन विभाग का पत्र क. 3867 / 1611 / 2018 / 12 / 1 दिनांक 21.08. 2018 के माध्यम से उक्त खदान को 30 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.08.2048 तक मान्य रहेगी।

21. **प्रकरण क्र 9009 / 2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती आशिया बेगम पत्नी स्व. श्री अब्दुल रज्जाक, निवासी ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 3800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर में से रकबा 0.56 हेक्येटर, खसरा 626 / 1, ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति में संशाधन बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 558वीं बैठक दिनांक 04.03.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के संशोधन का है, क्योंकि प्रकरण में स्वीकृत लीज़ का रकबा 1.0 हेक्टेयर था, जिसमें DEIAA द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, जो कि नवीनीकरण हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेख से मिलान अनुसार पाया गया कि आवेदित क्षेत्र खसरा क्र. 626 के 02 भागों में लंबवत खसरा क्र. 626 / 1 एवं 626 / 2 में बटांकन होने से उक्त आवेदित क्षेत्र क्रमशः 0.56 हेक्टेयर एवं 0.44 हेक्टेयर है तथा आवेदक द्वारा 626 / 2 के भू–स्वामी से सहमति नहीं ली गई है, इस कारण से आवेदक को कुल रकबा 0.56 हेक्टेयर पर पत्थर खदान हेतु नवकरण स्वीकृत किया गया है।

उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के आवेदन में कुल रकबा 1.0 हेक्टेयर से कम है। अतः प्रकरण को **Reject** किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. **प्रकरण क्र 9249 / 2022 परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव गांधी आत्मज श्री विजय गांधी, निवासी 21, किला मार्ग, जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 47025 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.60 हेक्टेयर, खसरा 78, 81 279, 280, 281, 286, 287, 288, ग्राम कोल्याबयडा, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670, pseudonym=59677A9E0556F3038E391E06270442ECD96D8E15, 2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab, postalCode=492007, st=Chhattisgarh, serialNumber=8EEBC30C03467931610D795822F972A2A09ABE23A78850BD4411F30CB3DE4391, cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:24:30 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 669 दिनांक 08.06.2022 के अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान है जिसकी अवधि समाप्त हो गई है का उल्लेख है। यद्धपि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रकरण में कलस्टर में सम्मिलित खदानों (स्वीकृत/संचालित) के दृष्टिगत कुल क्षेत्र 05 हेक्टेयर से अधिक है अथवा नहीं।

अतः उपरोक्त 02 खदानों के संबंध में जिला कलेक्टर अलीराजपुर से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उपरोक्त एंकल प्रमाण पत्र दिनांक 08.06.2022 के अनुसार दर्शित जिन खदानों (जिसकी अवधि समाप्त हो गई है) का विधिवत माईन क्लोज़र हुआ है अथवा नहीं। उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा

23. **प्रकरण क्र 9206/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्यामजी मिनरल्स, प्रोपराईर, श्री अमोल सिंह अहिरवार निवासी चनारी, पोस्ट अटा, तहसील मालथौन, जिला सागर (म.प्र) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 162/3, 162/4, ग्राम चनारी ,तहसील मालथौन, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं **SEAC** की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण को सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **सागर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **प्रस्तावित खदान वन सीमा से 135 मीटर पर स्थित है, संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04/02/22 का कार्यवाही विवरण की गई अनुशंसा अनुसार वन सीमा की ओर, स्वीकृत क्षेत्र पर वन मण्डाधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेंसिंग करेगा तथा**

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

वन भूमि के अंदर ओव्हर बर्डन नहीं डालेगा न ही वन भूमि से आवागमन किया जायेगा। स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं वन विभाग के अमले की उपस्थिति में सीमांकन कराकर सीमेंटेड कंक्रीट के पक्के मुनारे बनायेगा एवं खदान स्वीकृति से संबंधित खदान विवरणी बोर्ड स्थापित करेगा। स्वीकृत क्षेत्र में वन सीमा की ओर सी.सी. टी.व्ही. कैमरा लगवायेगा एवं कम से कम 15 दिन की रिकार्डिंग रखेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का रोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	नीम, पीपल, शीशम, बरगद, आम, महुआ, इमली, चिरोल, बबूल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	800
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	नीम, करंज, आम, शीशम, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	100
3	ग्राम के ग्रामीणों में वितरण	ऑवल, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नीबू, हर्रा, बहेरा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	300
		कुल	1200

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम चनारी में 05 व्हीलचेयर और 03 स्ट्रेचर

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्यामजी मिनरल्स, प्रोपराईर, श्री अमोल सिंह अहिरवार निवासी चनारी, पोस्ट अटा, तहसील मालथौन, जिला सागर (म.प्र) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 162/3, 162/4, ग्राम चनारी ,तहसील मालथौन, जिला सागर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सागर का पत्र क्र 494 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्घातिक मंजूरी जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.03.2032 तक मान्य रहेगी।

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

24. **Case No 9162/2022:** Prior Environment Clearance for Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity - 0.5 MTPA) at Village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, MP by M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP, through Shri Shubham Jain, Partner, Main Road, Goberwahi, Dist. Balaghat, MP - 481445 Email: badebaba2020@gmail.com EIA consultant: Grass Roots Research & Creations India Pvt Ltd, F-375, Sector-63, Noida

1- यह प्रकरण ग्राम सेलवा, तहसील–कटंगी, जिला–बालाघाट, मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्क बेनीफिकेशन प्लांट (क्षमता – 0.5 एमटीपीए) की ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है।

2. इस परियोजना का ToR पत्र क्र. J&11011/177/2020&IA-II (I) दिनाक 23.09.2020 के माध्यम से MoEF&CC द्वारा जारी किया गया है।

3. MoEF&CC, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.04.2022 के अनुसार परियोजना B केटेगरी के अंतर्गत शामिल हो गया है, इसलिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा EIA रिपोर्ट SEIAA में जमा किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंर्तराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं पारिस्थितकीय संवेदनशील का नहीं होना बताया गया है।

5. लोक सुनवाई दिनांक 19.03.2021 को मेसर्स बड़ेबाबा माइनिंग एवं कंसल्टेंसी द्वारा प्रस्तावित मैंगनीज अयस्क बेनीफिकेशन प्लांट (क्षमता – 0.5 एमटीपीए) ग्राम–सेलवा तह्सील – कटंगी जिला – बालाघाट के परिसर में संपन्न हुई ।

6. परियोजना की उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है –

Input		Output		Utilization
Material	Qty.(MTPA)	Material	Qty.(MTPA)	
Mn	Ore 0.5	Beneficiated	Ore 0.375	सभी अंतिम उत्पाद की आपूर्ति फेरो एलॉय यूनिट को की जाएगी
		Tailing	0.125	सभी टेलिंग का उपयोग abandoned मैंगनीज mine में बैकफिल सामग्री के रूप में किया जाएगा।
Total	**0.5**	**Total**	**0.5**	

7. प्रकरण पर 572वीं एसईएसी बैठक दिनांक 19.05.2022 में चर्चा की गई और कुछ प्रश्न उठाए गए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जवाब प्रस्तुत करने उपरांत प्रकरण को SEAC की 582वीं बैठक में विचार करते हुए EC के लिए अनुसंशित किया गया है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 11 से 24 पर अंकित है।

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670, pseudonym=59677A9E0556F3038E391E06270442ECD96D8E15, 2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab, postalCode=492007, st=Chhattisgarh, serialNumber=8EEBC30C03467931610D795822F972A2A09ABE23A78850BD4411F30CB3DE4391, cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:26:09 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

8- SEAC की 582वीं बैठक दिनांक 29–06–2022 से प्राप्त अनुशंसा के उपरांत 736वीं SEIAA बैठक दिनांक 12–07–22 अनुश्रवण हेतु रखा गया और परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन जानकारी जमा नहीं होने के कारण प्रकरण को SEAC की ओर प्रेषित किया गया ।

9. SEAC के द्वारा पुनः 586वीं SEAC बैठक दिनांक 21.07.22 के निर्णय उपरांत SEIAA में पुनः बिना ऑनलाइन जानकारी के वापस किया गया जिससे 740वीं SEIAA बैठक दिनांक 12–07–22 के निर्णय उपरांत ऑनलाइन जानकारी जमा करवाने हेतु SEAC की ओर प्रेषित किया गया।

10. समिति ने 588वीं SEAC बैठक दिनांक 16–08–22 में प्रवेश पोर्टल में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को ADS जारी करने का निर्णय लिया एवं जानकारी प्राप्त होने उपरांत SEAC ने 591वीं बैठक दिनांक 27–08–22 में प्रकरण को पुनः अनुशंसित कर SEIAA को प्रेषित करने का निर्णय लिया।

11. SEAC की 591वीं बैठक दिनांक 27–08–2022 से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को आज दिनांक 13–09–2022 की SEIAA बैठक में प्रकरण को विचारार्थ रखा गया है।

12. परियोजना का विवरण :

i	Project & location	मेसर्स बडेबाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी द्वारा ग्राम सेल्वा तहसील–कटंगी, जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश)में 0.5 मिलियन टीपीए की कुल क्षमता के मैंगनीज अयस्क बेनीफिकेशन के यूनिट स्थापना के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन
ii	Area statement	➢ Total Available Land = 3.06 ha. ➢ Plant Area =0.809 ha. ➢ Dumping of waste/Reject =0.202 ha. ➢ Area under storage of Ore & Product =0.505 ha. ➢ Shed/Building/Lab/Road etc.=0.335 Ha. ➢ Landscape Area = 1.007ha. (33 % of the Plot Area) ➢ Parking area = 0.202 ha.
iii	Total water requirement & Source	Total water requirement -296 KLD Fresh water requirement-36 KLD Treated water -260 KLD PP has obtained NOC from CGWA for withdrawl of ground water-vide NOC No. CGWA/ NOC/ IND/ ORIG/ 2021/11076 dated 31st Oct.,2020.
iv	MSW	MSW का निपटान ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत सेलवा से एनओसी ले ली गई है। रिजेक्ट जनरेटेड का उपयोग निचले क्षेत्र में भरने के लिए किया जाएगा।
v	Waste Water	संयंत्र से अपशिष्ट जल का कोई निर्वहन नहीं होगा क्योंकि तरल अपशिष्ट निर्वहन के लिए शून्य तरल निर्वहन (ZLD)

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma Date: 2022.09.20

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		अपनाया जाएगा। इस प्रक्रिया में Filtrate water का पुनः उपयोग किया जायेगा और यह एक शून्य अपशिष्ट भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रकार के रसायनों को शामिल नहीं किया जाता है। घरेलू अपशिष्ट जल का निपटान सेप्टिक टैंक और सोक पिट के माध्यम से किया जाएगा।
vi	Details of Emission, effluents, hazardous waste generation and their management.	इस प्रक्रिया में खतरनाक अपशिष्ट का कोई उत्पादन नहीं होगा। पक्की सड़क के निर्माण में चिप (क्वार्ट्स) प्रकार के कचरे का पुनः उपयोग किया जाएगा और M/s Metal & Minerals द्वारा संचालित बालाघाट में मैंगनीज खदान की बैक फिलिंग / रिक्लेमेशन में अपशिष्ट के स्लाइम फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में मैसर्स मेटल एंड मिनरल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
vii	ग्रीन बेल्ट	वर्तमान में परियोजना स्थल पर कोई पेड़ मौजूद नहीं है। कुछ झाड़ियां मौजूद हैं जिन्हें निर्माण कार्य शुरू होने से पहले साफ कर दिया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन बेल्ट एवं वृक्षारोपण क्षेत्र का विकास 1.007 हे. अर्थात कुल संयंत्र क्षेत्र के 33.31 प्रतिशत में किया जायेगा। हरित पट्टी के विकास के लिए फलदार/औषधीय पौधे और स्थानीय प्रजातियों वृक्षों को प्रति हेक्टेयर 2,000–2,500 घनत्व में लगाया जाएगा।
vii	Power:	परियोजना हेतु कुल 500 किलोवाट बिजली की खपत होना संभावित है। बिजली की आपूर्ति मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पूरा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डीजी सेटः 25 केवीए प्रस्तावित है
ix	List of raw materials required and their source along with mode of transportation.	प्रमुख कच्चा माल मैंगनीज अयस्क है जिसे पास की निजी मैंगनीज खानों और बालाघाट जिले के मैंगनीज ओर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा जाएगा। सभी मैंगनीज खदान परियोजना स्थल के 20–30 किमी के दायरे में स्थित हैं।
x	रेनवॉटर हार्वेस्टिंग	इकाई परिसर के अंदर वर्षा जल एकत्र कर वर्षा जल भंडारण संरचनाओं का विकास किया जाएगा। ग्राम पंचायत के परामर्श से आस–पास के गांवों में रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा प्लांट परिसर के बाहर भूजल पुनर्भरण संरचना का निर्माण लिया जावेगा
xi	प्रोजेक्ट कास्ट	परियोजना ल गत : Rs 5 Cr ईएमपी पूंजीगत लागत (कैपिटल कॉस्ट) 165 लाख रुपये और आवर्ती लागत (Recurring cost) 57.0 लाख रुपये दिया गया है।

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 591वीं दिनांक 27.08.22 की कार्यवाही विवरण में पेज नंबर 110 से 122 पर अंकित करते हुए पुनः परीक्षण कर "पूर्व पर्यावरण स्वीकृति" अनुशंसित की है। उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिया गया :–

i. परियोजना में मैंगनीज अयस्क का बेनीफिकेशन किया जा रहा है अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाता है कि बेनीफिशियेशन से जेनरेटेड रिजेक्ट का उचित प्रबंध करे, जिसे पर्यावरण को किसी प्रकार कि क्षति न हो तथा उत्पादन क्षमता के अनुसार प्लांट में Raw Material के रखरखाव कि समुचित व्यवस्था हो।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचालन के समय पानी की मांग पूर्ति हेतु भूजल पानी से किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक ने भूजल के दोहन हेतु CGWA से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया है। भूजल की निकासी को रोकने हेतु परियोजना प्रस्तावक को सतही जल (Surface Water) के उपयोग हेतु प्रयास करना चाहिये।

iii. परियोजना प्रस्तावक परिवहन मार्ग के साथ ईकाई की सीमा पर सघन वृक्षारोपण करेगा और वृक्षारोपण को भी मजबूत करते हुए संपूर्ण वृक्षारोपण 02 वर्षों के भीतर पूरा करें।

iv. परियोजना स्थल के चारों ओर विशेष रूप से प्रबल हवा की दिशा में सघन हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा। बसाहट की ओर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिये स्थल की सीमा के साथ–साथ सघन हरित पट्टी विकसित किया जाना भी सुनिश्चित करें।

v. ईकाई से निकले रिजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा ईकाई के अंदर पुनरूपयोग किया जायें ताकि किसी प्रकार के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो सकें।

vi. ईकाई परिसर के अंदर की सभी सड़के पक्की होनी चाहियें एवं परियोजना प्रस्तावक को खनिजों के परिवहन के लिये उपयोग की जाने वाली सड़क का रखरखाव नियमित रूप से किया जाना चाहिये।

vii. ट्रकों एवं वाहनों के आवागमन हेतु सड़क की उचित चौड़ाई और टर्निंग रेडियस सुनिश्चित करते हुये कम से कम ट्रकों के लिये पक्का पार्किंग–वे विकसित किया जाना चाहिये।

viii. परियोजना प्रस्तावक के द्वारा दुर्घटना के दृष्टिगत वाहनों की आवाजाही हेतु प्रवेश और निकासी की अलग–अलग उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 582वी बैठक दिनांक 29.06.2022 एवं 591वी बैठक दिनांक 27.08.2022 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु क्र. (i) से (viii) तक को शर्तों में शामिल करते हुए परिशिष्ट–2 सहित परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बडेबाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी द्वारा ग्राम सेल्वा तहसील–कटंगी, जिला

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
DN: c=IN, o=Personal, title=2670, pseudonym=59677A9E0556F3038E391E06270442ECD96D8E15, 2.5.4.20=08ff2831e0e797fc464692f7686fc14a36bf13c691188e92f12dfdf843de1eab, postalCode=492007, st=Chhattisgarh, serialNumber=8EEBC30C03467931610D795822F972A2A09ABE23A78850BD4411F30CB3DE4391, cn=Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:27:19 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

बालाघाट (म.प्र) में 0.5 मिलियन टीपीए की कुल उत्पादन क्षमता के मैंगनीज अयस्क बेनीफिकेशन के यूनिट स्थापना के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जाती है।

25. **प्रकरण क्र 9200/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री श्याम सिंह चौहान आत्मज श्री तेज सिंह चौहान, निवासी पावती, तहसील गरोथ, जिला मंदसौर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 2625, ग्राम पावती, तहसील गरोथ, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण को सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **मंदसौर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र मे विद्यमान 03–04 वृक्षो को काटा नही जायेगा एवं इनका रख–रखाव किया जाये।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	नीम, शिशम, करंज, चिरोल, सीताफल, सफेद कैस्टर एवं अन्य प्रजातियां	800
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की	नीम, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी।	300

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

	ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)		
3	शासकीय विद्यालय परिसर में	मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम, नीम	100
		कुल	1200

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- स्थानीय अनाथ एवं निशक्तजन संस्थान मंदसौर में सहयोग राशि प्रदान की जाये।
- ग्राम गरोठ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 ई.सी.जी. मशीन रिपोर्ट के साथ प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री श्याम सिंह चौहान आत्मज श्री तेज सिंह चौहान, निवासी पावती, तहसील गरोथ, जिला मंदसौर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 2625, ग्राम पावती, तहसील गरोथ, जिला मंदसौर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मंदसौर का पत्र क्र. 1622 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु मंजूरी प्राप्त है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.07.2031 तक मान्य रहेगी।

26. प्रकरण क्र. 9256/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मीना पटेल पत्नी श्री कुलदीप पटेल, निवासी प्लाट नं. बी/18, कसोधन नगर, मढ़ोताल, बलदेवबाग, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11400 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.20 हेक्टेयर, खसरा 184, ग्राम ऐटाखेड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 584वीं बैठक दिनांक 05.07.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण को सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) **जबलपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त खदान की जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मावन बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यकम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम. (नीम, सीड़ सोंइग के साथ) खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजांतियां	**900**
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम् ऊॅचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां टी–गार्ड के साथ	**200**
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**700**
4	ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा में वितरण	नीम. आम, कटहल, बेर, आंवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नीबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजांतिया	**500**
5	ग्राम ऐंठाखेड़ा के प्राथमिक शाला, आगंनबाडी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजांतिया	**200**
		कुल	**2500**

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- **ग्राम ऐंठाखेड़ा में 05 वर्ष तक ऑगनवाड़ी केन्द्र में पोषण आहार का वितरण किया जाये।**

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मीना पटेल पत्नी श्री कुलदीप पटेल, निवासी प्लाट नं. बी/18, कसोधन नगर, मढ़ोताल, बलदेवबाग, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11400 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.20 हेक्टेयर, खसरा 184, ग्राम ऐटाखेड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जबलपुर का पत्र क्र. 1164 दिनांक 09.07.2020 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धातिक मंजूरी प्राप्त है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.07.2030 तक मान्य रहेगी।

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

	Anil Kumar Sharma (Digitally signed)	
(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

(1) **Waste water management:-**

(a) PP should ensure 100% recycling of waste water and maintain zero discharge.

(b) There shall be no industrial effluent discharge within the project premises.

(2) **Air Quality Management:-**

(a) The performance of air pollution control system should be regularly monitored and maintained.

(b) PP should ensure regular Stack monitoring & Ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.

(c) Transportation of raw material and finished goods should be carried out in covered trucks.

(d) Dust suppression system including water sprinkler system/ foaming arrangement shall be provided at loading and unloading areas to control dust emission.

(e) Fugitive emission in the work zone environment, product, raw material storage areas etc. shall be regularly monitored.

(f) Separate civil construction material storage yard should be created within the site and it will be enclosed.

(g) Possibility of increasing the pace of green belt development along with construction activity will also be explored.

(h) Transport vehicles and construction equipments / machineries will be properly maintained to reduce air emissions.

(i) Vehicles and equipments will be periodically checked for pollutant emissions against stipulated norms.

(j) Idle running of vehicles will be minimized during material loading / unloading operations.

(3) Tailings generated from the process shall be used for brick manufacturing / building material as far as possible. Storing / dumping of this waste should be avoided. However, if stored or dumped, in abundant mine pit the ground water monitoring of the area has to be carried out periodically in consultation with MPPCB.

Anil Kumar Sharma

(श्रीमन् शुक्ला)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(4) Dense green area (not less than 33% of the total plot area) shall be developed all around the site especially in the predominant wind direction.

(5) Occupational health check-up camps shall be organized regularly and records of health of each and every worker should be maintained at site.

(6) National Ambient Air Quality Standard issued by the Ministry vide GSR No. 826 (E) dated 16.11.2009 shall be followed.

(7) Secondary fugitive emissions from all sources shall be controlled within latest permission limits issued by the Ministry and regularly monitored. Guidelines / Code or practice issued by CPCB shall be followed.

(8) Regular monitoring of influent and effluents surface, sub-surface and ground water shall be ensured and treated waste water shall be re-cycled in the process. Leachate study for effluent generated & analyses should also be regularly carried out and report submitted to ministry and MPPCB.

(9) Risk & Disaster Management Plan along with the mitigation measures should be prepared and copy shall be submitted to Ministry of Environment & Forests, GoI& MPPCB.

(10) PP shall implement Corporate Environment Responsibility with budgetary provision of 55.20 lakhs

Anil Kumar Sharma

Digitally signed by Anil Kumar Sharma
Date: 2022.09.20 16:34:55 +05'30'

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष